वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Dated: .!.../08/2025

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/Systems/F-2/35/2025/Vol-I / 402

Office Order -227 /2025

In supersession to the existing Sikkim University Information Technology (IT) Resources and Internet Facility Usage Policy document notified vide office order – 402/2019 dated 05.12.2019, the Policy document titled "Sikkim University Policy document on Institutional Brand, Imagery, Information and Communication Technology (ICT) Resources & Facilities" is hereby attached as an Annexure of this Office Order for strict and full compliance by everyone (students, officers, faculty, staff of the University and all visiting users of the University including visitors, guests, contractors, vendors and any third-party individuals or organizations) accessing or using (Sikkim University's Brand, Imagery, Information and Communication Technology (ICT) Resources & Facilities).

Prof. Laxuman Sharma
Registrar[IC]
Sikkim University

Enclosures: Annexure- Sikkim University Policy document on Institutional Brand, Imagery and Information and Communication Technology (ICT) Resources & Facilities.

Distribution:

- 1) PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
- 2) PS to Registrar for kind information of the Registrar
- 3) PS to Finance Officer for kind information of the Finance Officer
- 4) PS to Controller of Examination for kind information of the CoE
- 5) PS to Librarian for kind information of the Librarian
- 6) All Deans of School of Studies
- 7) Dean Students' Welfare For integrating the Policy Document in the Admission Portal and other Student's interfaces and disseminating the information to the students.
- 8) Director-Yangang Campus
- 9) All HoD(s) / In-Charge(s) For disseminating the information to the Faculty members, staff and students of the various departments.
- 10) Officers of the University
- 11) All Faculty and Staff via email
- 12) All Associations via email
- 13) All Class Rooms, Library, Hall and common areas, Notice boards, Offices and prominent locations of the University –(Large format bilingual laminated print copies of the policy document to be put up in the said locations by General Administration in coordination with the respective location's Head/In-Charge)
- 14) Systems Management for uploading in official website, Internet login page and to be emailed to the user whenever a new email ID is created.
- 15) Office Copy
- 16) Guard file

वेबसाइट - <u>www.cus.ac.in</u>



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656

Telefax: 251067 Website: <u>www.cus.ac.in</u>

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/Systems/F-2/35/2025/Vol-I | 402

दिनांक: १५/08/2025

कार्यालय आदेश - 227/2025

दिनांक 05.12.2019 को जरी कार्यालय आदेश - 402/2019 के तहत अधिसूचित मौजूदा सिक्किम विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संसाधन और इंटरनेट सुविधा उपयोग नीति दस्तावेज को निरस्त करते हुए "संस्थागत ब्रांड, इमेजरी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधन और सुविधाओं पर सिक्किम विश्वविद्यालय नीति दस्तावेज को (सिक्किम विश्वविद्यालय के ब्रांड, इमेजरी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधन और सुविधाओं) के पहुँच एवं उपयोग के लिए सभी (छात्रों, अधिकारियों, संकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के सभी विज्ञिटिंग उपयोगकर्ताओं, जिनमें विजिटर, अतिथि, ठेकेदार, विक्रेता और कोई भी तृतीय-पक्ष व्यक्ति या संगठन शामिल हैं) द्वारा सख्ती और पूर्ण अनुपालन हेतु इस कार्यालय आदेश के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

प्रो. लक्ष्मण शर्मा कुलसचिव (प्रभारी) सिक्किम विश्वविद्यालय

अनुलग्नक- संस्थागत ब्रांड, इमेजरी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधन एवं सुविधाओं पर सिक्किम विश्वविद्यालय नीति दस्तावेज।

वितरण:

- 1) कुलपित के सूचनार्थ कुलपित के निजी सचिव
- 2) कुलसचिव के सूचनार्थ कुलसचिव के निजी सचिव
- 3) वित्त अधिकारी के सूचनार्थ वित्त अधिकारी के निजी सचिव
- 4) परीक्षा नियंत्रक के सूचनार्थ परीक्षा नियंत्रक के निजी सचिव
- 5) पुस्तकालयाध्यक्ष के सूचनार्थ पुस्तकालयाध्यक्ष के निजी सचिव
- सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
- 7) छात्र कल्याण डीन प्रवेश पोर्टल और अन्य छात्र इंटरफेस में नीति दस्तावेज़ को एकीकृत करने और छात्रों तक जानकारी प्रसारित करने के लिए।
- 8) निदेशक-यांगंग कैम्पस
- 9) सभी विभागाध्यक्ष/ प्रभारी विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों तक सूचना प्रसारित करना।
- 10) विश्वविद्यालय के अधिकारी
- 11) सभी संकाय एवं कर्मचारी (ईमेल द्वारा)
- 12) सभी संगठन ईमेल द्वारा
- 13) विश्वविद्यालय के सभी कक्षा, पुस्तकालय, हॉल और सामान्य क्षेत्र, सूचना पट, कार्यालय और प्रमुख स्थान (नीति दस्तावेज की बड़े प्रारूप वाली द्विभाषी लेमिनेटेड मुद्रित प्रतियां सामान्य प्रशासन द्वारा संबंधित स्थान के प्रमुख/प्रभारी के समन्वय से उक्त स्थानों पर लगाई जाएंगी)
- 14) सिस्टम मैनेजमेंट आधिकारिक वेबसाइट, इंटरनेट लॉगिन पेज पर अपलोड करने के लिए तथा जब भी कोई नया ईमेल आईडी बनाया जाता है तो उपयोगकर्ता को ईमेल किया जाना।
- 15) कार्यालय प्रति
- 16) सुरक्षा फाइल

टेलीफैक्स -251067

वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

Reference Office Order No...227

Dated: 14/08/2025

(ANNEXURE)

Sikkim University Policy document on Institutional Brand, Imagery, Information and Communication Technology (ICT) Resources & Facilities.

The scope of this Sikkim University Policy document on Institutional Brand, Imagery, Information and Communication Technology (ICT) Resources & Facilities (herein referred to as the "Policy Document") includes but is not limited to the following category of User(s): (All students, officers, faculty, staff of the University and all visiting users of the University including visitors, guests, contractors, vendors and any third-party individuals or organizations) accessing or using (Sikkim University's Brand, Imagery, Information and Communication Technology (ICT) Resources & Facilities). All User(s) mentioned herein should strictly and fully comply with this Policy Document.

Sikkim University is herein also referred to only as University also.

The Policy document is applicable to the following categories of Sikkim University's Brand, Imagery, Information and Communication Technology (ICT) Resources & Facilities herein referred to as "SU ICT resources and Facilities" which includes but is not limited to the following: +

Computer hardware.

Computer software.

Computer network.

Computer storage and media drives.

Email Facility.

SAMARTH ERP Facility and other Digital Platforms provided by the University.

Sikkim University Websites.

Internet access facilities.

Telecommunication facilities.

Audio Video Facilities.

Digital Data including document, text, audio, video, media, database, link and other relevant formats of data. Any intellectual properties, copy rights, trade marks, patents etc. of Sikkim University

University logo.

University Name.

University Flag.

University coordinates.

University Motto and Taglines.

Official document formats like letter heads, note sheets, files etc..

Photographs of University locations, buildings, facilities and entities that are linked to the University in official capacity.

Electronic devices.

All Sikkim University's institutional ICT, electronic or other relevant assets, whether on-premises or cloud-based and irrespective of location (campus, remote work, etc.)

The following clauses are applicable and binding to all the User(s) who are under the scope of this Policy document and strictly prohibits the following in relation to the SU ICT Resources and Facilities:

1. **General Prohibition:** Users are prohibited from creating, viewing, accessing, attempting to access, storing, transmitting, receiving or displaying, promoting, publishing unlawful

Prof. Laxuman Sharma

Registrar[IC]

Sikkim University

टलाफक्स -251067 वेबसाइट - <u>www.cus.ac.in</u>



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

संदर्भ कार्यालय आदेश संख्या?....

दिनांक: 14/08/2025

(अनुलग्नक)

संस्थागत ब्रांड, इमेजरी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधन और सुविधाओं पर सिक्किम विश्वविद्यालय नीति दस्तावेज

संस्थागत ब्रांड, इमेजरी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधनों और सुविधाओं पर इस सिक्किम विश्वविद्यालय नीति दस्तावेज (जिसे यहां "नीति दस्तावेज" के रूप में संदर्भित किया गया है) के क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणी के उपयोगकर्ता शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: (विश्वविद्यालय के सभी छात्र, अधिकारी, संकाय, कर्मचारी और विश्वविद्यालय के सभी विजिटिंग उपयोगकर्ता जिनमें आगंतुक, अतिथि, ठेकेदार, विक्रेता और कोई भी तृतीय पक्ष व्यक्ति या संगठन शामिल हैं) जो (सिक्किम विश्वविद्यालय के ब्रांड, इमेजरी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधनों और सुविधाओं) तक पहुंच या उनका उपयोग कर रहे हैं। यहां उल्लिखित सभी उपयोगकर्ताओं को इस नीति दस्तावेज का सख्ती से और पूरी तरह से पालन करना चाहिए।

सिक्किम विश्वविद्यालय को यहां केवल विश्वविद्यालय के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

नीति दस्तावेज़ सिक्किम विश्वविद्यालय के ब्रांड, इमेजरी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधनों और सुविधाओं की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू है, जिन्हें यहां "एसयू आईसीटी संसाधन और सुविधाएं" कहा गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

कंप्यूटर हार्डवेयर।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।

कंप्यूटर नेटवर्क।

कंप्यूटर स्टोरेज और मीडिया ड्राइव।

ईमेल सुविधा।

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई समर्थ ईआरपी सुविधा

और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।

सिक्किम विश्वविद्यालय की वेबसाइटें।

इंटरनेट एक्सेस सुविधाएँ।

दूरसंचार सुविधाएँ।

ऑडियो-वीडियो सुविधाएँ।

डिजिटल डेटा जिसमें दस्तावेज़, पाठ, ऑडियो, वीडियो, मीडिया, डेटाबेस, लिंक और डेटा के अन्य प्रासंगिक प्रारूप

शामिल हैं।

सिक्किम विश्वविद्यालय की कोई भी बौद्धिक संपदा,

कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि।

विश्वविद्यालय का लोगो।

विश्वविद्यालय का नाम।

विश्वविद्यालय का ध्वज।

विश्वविद्यालय के निर्देशांक।

विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य और टैगलाइन।

आधिकारिक दस्तावेज़ प्रारूप जैसे लेटर हेड, नोट शीट, फाइलें आदि।

विश्वविद्यालय के स्थानों, भवनों, सुविधाओं और संस्थाओं की तस्वीरें जो आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय की सभी संस्थागत आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रासंगिक संपत्तियां, चाहे वे परिसर में हों या क्लाउड-आधारित हों और किसी भी स्थान (कैंपस, दूरस्थ कार्य, आदि) पर हों

निम्नलिखित धाराएं उन सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू और बाध्यकारी हैं जो इस नीति दस्तावेज के दायरे में हैं और एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखितों को सख्ती से प्रतिबंधित करती हैं:

1. सामान्य प्रतिबन्धता : उपयोगकर्ताओं को एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण डेटा बनाने, देखने, एक्सेस करने, एक्सेस करने का प्रयास करने, संगृहीत करने, संचारित करने, प्राप्त करने या प्रदर्शित करने, प्रचार करने, प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

प्रो लक्ष्मण शर्मा

कुलसचिव (प्रभारी)

सिक्किम विश्वविद्यालय

टेलीफैक्स -251067

वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

and malicious Data either electronically or in hard copy using the SU ICT Resources and Facilities.

2. Users are prohibited from downloading, creating, manipulating, transmitting or storing of:

- Any unconstitutional, unlawful or illegal activities.
- Any violent, indecent or lewd images, video, text or any other data, or any data capable of being resolved into lewd, violent or indecent contents.
- Materials which are unlawful, derogatory, intimidating and discriminatory in nature.
- Unsolicited emails or other modes of communications containing malicious contents.
- Material which can be used to assist in any work of harassment, bullying and/or victimisation of a member of the University or a third party.
- Material which promotes discrimination on the basis of gender, religion or belief, disability, race, age, sexual orientation or any other form of discrimination in general.
- Material with the intent to deceive or which is likely to deceive others.
- Material which supports or endorses any unlawful act.
- Material that infringes the intellectual property rights or privacy rights of Sikkim University or a third party, or that is in breach of a legal duty owed to Sikkim University or another party.
- Material that brings the University into disrepute.
- Any other activity which is against the interest of institutional and national security and integrity.

Unauthorized Access & Usage:

- Users shall not gain or attempt to gain unauthorized access to any institutional SU ICT Resources and Facilities including computer system, network, data, application or account.
- Users shall not use SU ICT Resources and Facilities for purposes other than those for which they are officially designated (primarily academic, research, and administrative functions).

4. Security Tampering & Circumvention:

- Users shall not attempt to bypass, disable, or circumvent any security measures. access controls, firewalls, filters, or protective technologies implemented by the University.
- Users shall not conduct unauthorized vulnerability scanning, penetration testing, or network monitoring on SU ICT Resources and Facilities.

5. Introduction of Malicious Software/Content:

Users shall not introduce, transmit, store or create any malware, viruses, worms, Trojan horses, ransomware or any other harmful code or content on SU ICT Resources and Facilities.

6. Data Backup, Theft, Loss or Unauthorized Disclosure:

Users are responsible for ensuring proper backup of critical institutional data under their purview and custody.

Laxuman Sharma

Registrar[IC]

Sikkim University SIKKIM UNIVERSITY

टेलीफैक्स **-2**51067 वेबसाइट - <u>www.cus.ac.in</u> सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY 6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित को डाउनलोड करने, बनाने, हेरफेर करने, संचारित करने या संग्रहीत करने से प्रतिबंधित किया गया है:

- कोई भी असंवैधानिक, गैरकानुनी या अवैध गतिविधियाँ।
- » कोई भी हिंसक, अभद्र या अश्कील चित्र, वीडियो, पाठ या कोई अन्य डेटा, या कोई भी ऐसा डेटा जिसे अभद्र, हिंसक या अश्कील सामग्री में बदला जा सकता है।
- ऐसी सामग्री जो गैरकान्नी, अपमानजनक, डराने वाली और भेदभावपूर्ण प्रकृति की हो।
- अवांछित ईमेल या दुर्भावनापूर्ण सामग्री वाले संचार के अन्य माध्यम ।
- ऐसी सामग्री जिसका उपयोग विश्वविद्यालय के किसी सदस्य या किसी तीसरे पक्ष को परेशान करने, धमकाने और/या प्रताड़ित करने के किसी भी कार्य में सहायता के लिए किया जा सकता है।
- ऐसी सामग्री जो लिंग, धर्म या विश्वास, विकलांगता, जाति, आयु, यौन अभिविन्यास या सामान्य रूप से किसी अन्य प्रकार के भेदभाव के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है।
- 🗲 ऐसी सामग्री जो किसी को धोखा देने के इरादे से हों अथवा दूसरों को धोखा देने की संभावना वाली सामग्री।
- ऐसी सामग्री जो किसी गैरकानूनी कार्य का समर्थन या अनुमोदन करती हो।
- ऐसी सामग्री जो सिक्किम विश्वविद्यालय या किसी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों या गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन करती है, अथवा जो सिक्किम विश्वविद्यालय या किसी अन्य पक्ष के लिए कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करती है।
- ऐसी सामग्री जो विश्वविद्यालय को बदनाम करती है।
- 🕨 कोई अन्य गतिविधि जो संस्थागत और राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के हित के विरुद्ध हो।

अनिधकृत पहुँच और उपयोग :

- > उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, एप्लिकेशन या खाते सिहत किसी भी संस्थागत एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं तक अनिधकृत पहुंच प्राप्त नहीं करेंगे अथवा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे।
- उपयोगकर्ता एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे जिनके लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है (मुख्य रूप से शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्य)

4. सुरक्षा से छेड़छाड़ और छल :

- उपयोगकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किसी भी सुरक्षा उपाय, एक्सेस नियंत्रण, फायरवॉल, फिल्टर या सुरक्षात्मक प्रौद्योगिकियों को बायपास, अक्षम या बाधित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
- उपयोगकर्ता एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं पर अनिधकृत अतिसंवेदनशील स्कैनिंग, प्रवेश परीक्षण या नेटवर्क निगरानी नहीं कोंगे।

5. दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर/सामग्री का परिचय:

उपयोगकर्ता एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं पर किसी भी मैलवेयर, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर या किसी अन्य हानिकारक कोड या सामग्री को प्रस्तुत, संचारित, संग्रहीत या निर्मित नहीं करेंगे।

6. डेटा बैकअप, चोरी, हानि या अनधिकृत प्रकटीकरण:

- उपयोगकर्ता अपने अधिकार क्षेत्र और संरक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण संस्थागत डेटा का उचित बैकअप सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- आधिकारिक डेटा को हटाने या नष्ट करने के लिए अधिकृत और दस्तावेजित होना अनिवार्य है।

प्रो. लक्ष्मण शर्मा प्र

कुलसचिव (प्रभारी)

सिक्किम विश्वविद्यालय

टेलीफैक्स -251067 वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

- > Deletion or destruction of official data must be authorized and documented.
- ➤ When the affiliation of a User is terminated with the University, any such confidential or critical data should be handed over to the University and further usage or dissemination of the same by the disaffiliated User is strictly prohibited and will considered illegal and unlawful.
- > Users shall not steal, corrupt, alter, damage, destroy or disclose any institutional data, confidential information or intellectual property without proper authorization.
- ➤ Users shall not share their institutional account credentials (passwords, OTPs, etc.) with anyone else. Each user is responsible for the security of their own account.

7. Illegal Activities & Content:

- Users shall not use SU ICT Resources and Facilities to engage in any illegal activities, including but not limited to:
- > Copyright infringement (e.g., unauthorized downloading or sharing of copyrighted music, movies, software etc.).
- > Hacking, cyberstalking, harassment or cyberbullying.
- > Distribution or viewing of obscene, pornographic or hate-related content.
- > Fraudulent activities, phishing or identity theft.
- Any activity prohibited by The Information Technology Act, Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, The Copyright Act, The Trade Marks Act, Digital Personal Data Protection Act, Prevention of Money Laundering Act and other applicable laws, ordinances, guidelines, acts, rules, regulations, directives, orders, notifications, circulars, documents etc. from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Ministry of Electronics and Information Technology and other relevant agencies, organisations, departments, ministries etc.

8. Disruption of Services & Resource Abuse:

➤ Users shall not engage in activities that disrupt or attempt to disrupt the normal operation of SU ICT Resources and Facilities including Computer systems, networks, relevant services or any such activities that consume excessive network bandwidth or other IT resources to the detriment of other users.

9. Installation of Unauthorized Software/Hardware:

Users shall not install or use any unlicensed software, pirated software or unauthorized hardware on SU ICT Resources and Facilities.

10. Violation of Privacy:

Users shall not access, collect, disclose or use personal or sensitive information of others without explicit consent and legitimate institutional purpose.

11. Impersonation or False Representation:

Users shall not impersonate the University, its officials, other Users, departments, Sections or any authorized entity through the unauthorized use of its name, logo,

rof. Laxuman Sharn

Registrar[IC]

Sikkim University

टेलीफैक्स -251067 वेबसाइट - <u>www.cus.ac.in</u>



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

- > जब किसी उपयोगकर्ता की संबद्धता विश्वविद्यालय के साथ समाप्त हो जाती है, तो ऐसे किसी भी गोपनीय या महत्वपूर्ण डेटा को विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाना चाहिए और असंबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा इसका आगे उपयोग या प्रसार सख्त वर्जित है और इसे अवैध और गैरकानूनी माना जाएगा।
- > उपयोगकर्ता उपयुक्त प्राधिकरण के बिना किसी भी संस्थागत डेटा, गोपनीय जानकारी या बौद्धिक संपदा को चोरी, भ्रष्ट, परिवर्तित, क्षतिग्रस्त, नष्ट या प्रकट नहीं करेंगे।
- > उपयोगकर्ता अपने संस्थागत खाते की जानकारी (पासवर्ड, ओटीपी आदि) किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे। प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने खाते की सुरक्षा के लिए स्वयं ज़िम्मेदार है।

7. अवैध गतिविधियाँ और सामग्री:

- उपयोगकर्ता एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए नहीं करेंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- 🗩 कॉपीराइट उल्लंघन (उदाहरण के लिए, कॉपीराइट संगीत, फिल्में, सॉफ्टवेयर आदि का अनधिकृत डाउनलोड या साझा करना)।
- 🕨 हैकिंग, साइबरस्टॉकिंग, उत्पीड़न या साइबर उत्पीडन।
- अश्लील, पोर्नोग्राफिक या घृणा-संबंधी सामग्री का वितरण या देखना।
- धोखाधड़ी गतिविधियाँ, जालसाज़ी या पहचान की चोरी।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, भारतीय न्याय संहिता, कॉपीराइट अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों, संगठनों, विभागों, मंत्रालयों आदि के अन्य लागू कानूनों, अध्यादेशों, दिशानिर्देशों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, निर्देशों, आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दस्तावेजों आदि द्वारा निषद्ध कोई भी गतिविधि।

8. सेवाओं में व्यवधान एवं संसाधनों का दुरुपयोग:

उपयोगकर्ता ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रासंगिक सेवाओं सिहत एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं के सामान्य संचालन को बाधित करती हैं या बाधित करने का प्रयास करती हैं या ऐसी कोई भी गतिविधि जो अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए नुकसानदेह नेटवर्क बैंडविड्थ या अन्य आईटी संसाधनों का अत्यधिक उपभोग करती है।

9. अनिधकृत सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का संस्थापन:

> उपयोगकर्ता एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं पर किसी भी बिना लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या अनिधकृत हार्डवेयर को संस्थापित या उपयोग नहीं करेंगे।

10. गोपनीयता का उल्लंघन:

> उपयोगकर्ता स्पष्ट सहमित और वैध संस्थागत उद्देश्य के बिना दूसरों की व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच, संग्रह, खुलासा या उपयोग नहीं करेंगे।

11. प्रतिरूपण या मिथ्या प्रस्तुति :

उपयोगकर्ता विश्वविद्यालय, उसके अधिकारियों, अन्य उपयोगकर्ताओं, विभागों, अनुभागों या किसी भी अधिकृत संस्था के नाम, लोगो, आधिकारिक ईमेल आईडी, वेबसाइटों, लिंक या अन्य पहचानकर्ताओं के अनिधकृत उपयोग के माध्यम से धोखा देने या गुमराह करने के इरादे से उनका प्रतिरूपण नहीं करेंगे।

12. बिना अनुमति के वाणिज्यिक या व्यक्तिगत लाभ:

प्रो. लक्ष्मण शर्मा

कुलसचिव (प्रभारी)

सिक्किम विश्वविद्यालय

टेलीफैक्स -251067

वेबसाइट - www.cus.ac.in



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

official email addresses, websites, links or other identifiers with an intent to deceive or mislead.

12. Commercial or Personal Gain without Authorization:

➤ Users shall not use the SU ICT Resources and Facilities for personal or commercial gain, advertising or promotional activities unrelated to University's official affairs unless explicitly authorized through a formal agreement or policy.

13. Defamatory, Offensive or legal Context:

- ➤ Users shall not use the SU ICT Resources and Facilities including the University's name, logo, photographs, imageries or other brand assets in any context that is defamatory, offensive, discriminatory, harassing, obscene, sexually explicit, promotes violence, hate speech or is otherwise illegal or contrary to the University's values and public morality.
- ➤ Users should not use SU ICT Resources and Facilities to engage in defamatory, inflammatory or other malicious activities on Social Media platforms, Public Communications or any other such platforms.

14. Alteration or Misrepresentation of Brand Elements:

- ➤ Users shall not alter, modify, distort, resize disproportionately, change colors, or otherwise manipulate the University's logo, photographs, name, audio, video, data etc. in any way.
- ➤ Users shall not use University's brand asset or SU ICT Resources and Facilities in a manner that misrepresents the Institution, implies false endorsement, affiliation, sponsorship or partnership.

15. Unauthorized Use of Brand Elements:

- ➤ Users shall not use the SU ICT Resources and Facilities including the University's official name, email ids, acronyms, logos, emblems, seals, official photographs, videos, slogans, websites, links or other brand elements for any purpose without prior, explicit written authorization from the designated authority.
- > The SU ICT Resources and Facilities may not be used for any form of commercial activities.
- > The SU ICT Resources and Facilities may not be used for any other activities that are unlawful and illegal in nature.

16. Monitoring and Audit

- The University reserves the right to lawfully monitor, audit and log all user activities on SU ICT Resources and Facilities for compliance, security and operational purposes, subject to applicable laws.
- Such monitoring may include user activity logs, network traffic, file access, and email usage.

17. **Consequences of Violation:** In the event of a breach of any of the above clause(s), University will not be held liable under any circumstances and the concerned User(s) whose action has/have led to the breach will be solely/collectively held liable. The University reserves the right to report serious violations to relevant law enforcement agencies.

Prof. Laxuman Sharma

Registrar[IC] (7977)

Sikkim University

SIKKIM UNIVERSITY

वेबसाइट - www.cus.ac.in

ि सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY 6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

> उपयोगकर्ता एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ, विज्ञापन या विश्वविद्यालय के आधिकारिक मामलों से असंबंधित प्रचार गतिविधियों के लिए नहीं करेंगे, जब तक कि औपचारिक समझौते या नीति के माध्यम से स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया गया हो ।

13. मानहानिकारक, आपत्तिजनक या अवैध संदर्भ:

- उपयोगकर्ता विश्वविद्यालय के नाम, लोगो, फोटो, इमेजरी या अन्य ब्रांड परिसंपित्तयों सिंहत एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग किसी भी ऐसे संदर्भ में नहीं करेंगे जो अपमानजनक, आक्रामक, भेदभावपूर्ण, परेशान करने वाला, अश्कील, यौन रूप से स्पष्ट हो, हिंसा, घृणास्पद भाषण को बढ़ावा देता हो या अन्यथा अवैध हो या विश्वविद्यालय के मूल्यों और सार्वजनिक नैतिकता के विपरीत हो।
- उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक संचार या किसी अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक, भड़काऊ या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए।

14. ब्रांड तत्वों में परिवर्तन या गलत प्रस्तुति:

- उपयोगकर्ता किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के लोगो, फोटो, नाम, ऑडियो, वीडियो, डेटा आदि को परिवर्तित, संशोधित, विकृत, आकार में असंगत रूप से परिवर्तन, रंग परिवर्तन या अन्यथा हेरफेर नहीं करेंगे।
- > उपयोगकर्ता विश्वविद्यालय की ब्रांड संपत्ति या एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग ऐसे तरीके से नहीं करेंगे जो संस्थान को गलत तरीके से प्रस्तुत करता हो, गलत समर्थन, संबद्धता, प्रायोजन या साझेदारी का संकेत देता हो।

15. ब्रांड तत्वों का अनिधकृत उपयोग:

- > उपयोगकर्ता विश्वविद्यालय के आधिकारिक नाम, ईमेल आईडी, संक्षिप्त नाम, लोगो, प्रतीक, मुहर, आधिकारिक फोटो, वीडियो, नारे, वेबसाइट, लिंक या अन्य ब्रांड तत्वों सहित एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नामित प्राधिकारी से पूर्व, स्पष्ट लिखित प्राधिकरण के बिना नहीं करेंगे।
- एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता
 है।
- एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य गैरकानूनी और अवैध गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता है।

16. निगरानी और परिक्षण:

- विश्वविद्यालय लागू कानूनों के अधीन, अनुपालन, सुरक्षा और परिचालन के उद्देश्य से एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं पर सभी उपयोगकर्ता की गतिविधियों की कानूनी रूप से निगरानी, परिक्षण और लॉग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 17. उल्लंघन के परिणाम: उपरोक्त किसी भी खंड के उल्लंघन की स्थिति में, विश्वविद्यालय किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा और संबंधित उपयोगकर्ता/उपयोगकर्तागण, जिनकी गतिविधियों के कारण उल्लंघन हुआ है, पूरी तरह/सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। विश्वविद्यालय गंभीर उल्लंघनों की सूचना संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस नीति दस्तावेज़ का उल्लंघन करने पर निम्नलिखित परिणाम भी हो सकते हैं-

- औपचारिक चेतावनियाँ और सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई।
- > दंडात्मक कार्रवाई जिसमें किसी तीसरे पक्ष या सरकारी एजेंसी/एजेंसियों द्वारा जांच और कानूनी कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की मांग शामिल है, जहां कहीं लागू हो।

प्रो. लक्ष्मण शर्मा

कुलसचिव (प्रभारी)

मिक्किम विश्वविद्यालय

वेबसाइट - <u>www.cus.ac.in</u>



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

Violation of this Policy Document can also lead to the following consequences-

- > Formal warnings and general disciplinary actions.
- ➤ Punitive actions which include investigation by any third party or government agency/agencies and legal actions and pursuit of damages, where applicable.
- > Loss of relevant privileges.
- > Suspension or termination of employment/affiliation.
- > Academic penalties may include suspension or expulsion.
- > For employees, it could range from a formal reprimand to suspension or termination of employment.
- > Recovery of costs incurred due to the unauthorized or malicious activity.
- Attract penalties under the following but not limited to:
 The Information Technology Act, 2000, Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011, The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, The Copyright Act, 1957, The Trade Marks Act, 1999, Digital Personal Data Protection Act, 2023, Prevention of Money Laundering Act, 2002 and other applicable laws, ordinances, guidelines, acts, rules, regulations, directives, orders, notifications, circulars, documents etc. from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Ministry of Electronics and Information Technology and other relevant agencies, organisations, departments, ministries etc. as well as any amendments thereto.

Therefore, all Users of SU ICT Resources and Facilities are directed to use the SU ICT Resources and Facilities mandatorily and strictly only for the intended purposes and all Users should mandatorily and strictly adhere to this Policy Document.

Legal Binding Clause: All User of SU ICT Resources and Facilities are by default considered to have formally acknowledged their understanding and acceptance of this Policy Document while accessing the SU ICT Resources and Facilities.

Legal Supremacy Clause: In the event of any conflict or inconsistency between the provisions of this Policy Document and any existing or future laws, ordinances, guidelines, acts, rules, regulations, directives, orders, notifications, circulars, documents etc. issued by the Government of India or any relevant state authority, the latter shall prevail and take precedence. This policy is designed to operate in harmony with the legal framework of the Republic of India and all its clauses are subject to the overriding authority of Indian legislation, including but not limited to the Information Technology Act, 2000, Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011, The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, The Copyright Act, 1957, The Trade Marks Act, 1999, Digital Personal Data Protection Act, 2023, Prevention of Money Laundering Act, 2002 etc. as well as any amendments thereto.

Prof. Laxuman Sharma

Registrar[IC] ar (in-Charge)

Sikkim University VERSITY

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102 गंगटोक, सिक्किम, भारत

फोन-03592-251212, 251415, 251656

टेलीफैक्स -251067

वेबसाइट - <u>www.cus.ac.in</u>



6th Mile, Samdur, Tadong -737102 Gangtok, Sikkim, India Ph. 03592-251212, 251415, 251656 Telefax: 251067

Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

- प्रासंगिक विशेषाधिकारों की हानि ।
- 🕨 रोजगार/संबद्धता का निलंबन या समाप्ति।
- > शैक्षणिक दंड में निलंबन या निष्कासन शामिल हो सकता है।
- 🗲 कर्मचारियों के लिए, यह औपचारिक फटकार से लेकर निलंबन या नौकरी से बर्खास्तगी तक हो सकता है।
- ➤ अनिधकृत या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के कारण हुई लागत की वसूली।
- ➤ निम्नलिखित के अंतर्गत दंड दिया जायेगा, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएँ और प्रक्रियाएँ और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011, भारतीय न्याय संहिता, 2023, कॉपीराइट अधिनियम, 1957, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी -इन), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों, संगठनों, विभागों, मंत्रालयों आदि के अन्य लागू कानून, अध्यादेश, दिशानिदेंश, अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, आदेश, अधिसूचनाएँ, परिपत्र, दस्तावेज आदि और साथ-साथ उनमें किये गए कोई भी संशोधन।

अत: एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं के सभी उपयोगकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग अनिवार्य रूप से और सख्ती से केवल इच्छित उद्देश्यों के लिए करें और सभी उपयोगकर्ताओं को इस नीति दस्तावेज़ का अनिवार्य रूप से और सख्ती से पालन करना चाहिए।

कानूनन बाध्यकारी खंड: एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं के सभी उपयोगकर्ताओं को डिफ़ॉल्ट रूप से एसयू आईसीटी संसाधनों और सुविधाओं तक पहुंच के दौरान इस नीति दस्तावेज़ की अपनी समझ और स्वीकृति को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला माना जाता है।

कानूनी सर्वोच्चता खंड

इस नीति दस्तावेज के प्रावधानों और भारत सरकार या किसी संबंधित राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किसी मौजूदा या भविष्य के कानून, अध्यादेश, दिशानिर्देश, अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, आदेश, अधिसूचना, पिरपत्र, दस्तावेज आदि के बीच किसी भी द्वंद्व या असंगति की स्थिति में, बाद वाला लागू होगा और उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यह नीति भारत गणराज्य के कानूनी ढांचे के साथ सामंजस्य में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसके सभी खंड भारतीय कानून के अधिभावी अधिकार के अधीन हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011, भारतीय न्याय संहिता, 2023, कॉपीराइट अधिनियम, 1957, ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 शामिल है, किन्तु केवल इन्ही में सिमित नहीं है.

प्रो. लक्ष्मण शर्मा

कुलसचिव (प्रभारी)

मिक्किम विश्वविद्यालय